आधुनिकीकरण कार्यक्रम का मदरसों के संचालन और प्रबंधन पर प्रभाव

जावेद अनीस
शोध छात्र
बरकत उल्ला वि.वि. ,भोपाल

सारांश

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मदरसा सुधार को लेकर कदम उठाये जाते रहे मदरसों के आधुनिकीकरण के लिये भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष **1998** में मदरसों में गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूलईएम) का प्रारंभ किया गया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को आधुनिक विषयों से जोड़ना है जिससे मदरसा तथा मकतबों जैसी परम्परागत संस्थाओं को अपने पाठयक्रमों में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिन्दी तथा अंग्रेजी को शुरू करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकें। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक योजना है जिसके अंतर्गत मदरसों में आधुनिक विषयों के शिक्षण के लिये इच्छुक मदरसों को अनुदान दिया जाता है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये कई राज्यों में मदरसा बोर्ड का गङ्गन किया गया है। मध्यप्रदेश में भी वर्ष **1998** में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड का गठन किया गया है, जो मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत मदरसों को शासकीय योजनाओं से जोड़ने के लिये और इनको मान्यता देने का काम करती है। मदरसों को आधुनिकीकरण कार्यक्रम से जोड़ने के लिये मदरसा बोर्ड में पंजीयन अनिवार्य है, लेकिन इसके पूर्व मदरसा संचालन समिति का गठन किया जाना चाहिये क्योंकि मदरसा पंजीयन का आवेदन समिति के अध्यक्ष या सचिव की ओर से किये जाने का प्रावधान है। इसी बिन्दु को ध्यान में रखते हुये प्रस्तुत शोध पत्र में मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम का मदरसों के संचालन और प्रबंधन पर हुये प्रभावों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द- मदरसा,मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम,

समाज वैज्ञानिकी अक्टूबर-मार्च 2020-21
अंक-33-34, ISSN 0973-4201
भारतीय समाज विज्ञान परिषद्

प्रस्तावना-

आधुनिक समय में संगठन का बहुत महत्व है। सरकार, विभिन्न सरकारी गैर सरकारी विभाग, एनजीओ, कारपोरेट, आन लाइन सेवायें, अस्पताल, विश्वविद्यालय, बाजार जैसे आधुनिक संगठन हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। इन संगठनों में प्रबंधन का बहुत महत्व है। मौजूदा समय में कोई भी संगठन प्रबंधन के बिना नहीं चल सकता। गुणवत्ता, लक्ष्यों की प्राप्ति पेशेवर तरीके से चलने के लिये पबंधन बहुत जरूरी है।

संगठन को एक ऐसे सामाजिक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सामाजिक नियमों से नियंत्रित है। शैक्षणिक संस्थायें भी संगठन की श्रेणी में आती है और यहां भी प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

पीटरसन तथा प्लोमैन के अनुसार प्रबंधनल से आशय उस तकनीक से है जिसके द्वारा एक विशेष मानवीय समूह क्के उद्देश्यों का निर्धारण, स्पष्टीकरण तथा क्रियान्वयन किया जाता है। मौजूदा समय में कोई भी संगठन प्रबंधन के बिना नहीं चल सकता है। गुणवत्ता, लक्ष्यों की प्राप्ति पेशेवर तरीके से चलने के लिये प्रबंधन बहुत जरूरी है।

मैक्स वेबर के नौकरशाही अपनी पुस्तक सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिध्दांत में नौकरशाही की अवधारणा को प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार नौकरशाही एक प्रकार का प्रशासकीय संगठन है जिसमें विशेष योग्यता निष्पक्षता तथा तटस्थता आदि लक्षण पाये जाते है।

मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही की प्रमुख विशेषतायें-

1. सभी कर्मचारियों के मध्य कार्यो का सुस्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है।
2. नौकरशाही संगठन में कार्य करने की निर्धारित प्रक्रिया होती है।
3. निर्धारित योग्यता वाले व्यक्तियों को ही संगठन में स्थान दिया जाता है।
4. नौकरशाही प्रणाली पदसोपान पध्दति पर आधारित है। प्रशासनिक ढाँचा एक पिरामिड के रूप में होता है। आदेश के सूत्र ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं प्रत्येक कार्य उचित मार्ग से होता है।
5. पदाधिकारियों की भर्ती व पदोन्नति योग्यता के आधार पर की जाती है।
6. कर्मचारियों का वेतन उनके स्तर सामाजिक स्थति एवं कार्य आदि के आधार पर तय किया जाता है।

7. निर्णय व्यक्तिगत आधार पर नहीं वरन् औचित्य के आधार पर लिये जाते है।

8. अधिकारिक रिकॉर्डों को औपचारिक रूप से रिकॉर्ड करके भविष्य के लिये सुरक्षित रख लिया जाता है।

शैक्षिक प्रशास का संबंध मुख्य रूप से शिक्षा से होता है जिससे शिक्षा क्षेत्र के ढाँचे, तंत्र को कार्यान्वित किया जाता । शैक्षिक प्रशासन से आशय केवल शिक्षा की व्यवस्था करना नहीं है बल्कि इसका संबंध शिक्षा के योजना बनाने, संगठन पर ध्यान देने, निर्देशन तथा पर्यवेक्षण से भी है।

फाक्स, विष तथा रफनर के अनुसार शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किये जाते है।

डां. एस.एन. मुखर्जी के अनुसार शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ-साथ मानीय साधनों की व्यवस्था से संबंधित है अर्थात व्यक्तियों को मिल जुलकर और अच्छा कार्य करने से संबंधित है। वास्तव में, इसका संबंध मानवीय सजीवों से अपेक्षाकृत अधिक है तथा अमानवीय वस्तुओं से कम।

प्रत्येक शिक्षण संस्थान निश्चित उद्देश्यों के साथ एक संगठन के रूप में कार्य करता है जिसके निम्नलिखित चार प्रमुख घटक होते हैं-

- भौतिक - विद्यालय भवन और अन्य सभी भौतिक संसाधन।
- मानवीय - विद्यार्थी, शिक्षक, प्रिंसिपल, प्रबंधन समिति के सदस्य, शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी
- वित्तीय - विद्यालय से संबंधित सभी वित्तीय मुद्दे जैसे फीस, अनुदान आदि।
- सैध्दांतिक - पाठयक्रम, समय सारणी, विद्यालय के नियम अनुशासन।

उपरोक्त संदर्भ में प्रस्तुत शोध पत्र में मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम का मदरसों के संचालन और प्रब्रंधन पर हुये प्रभावों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया।

उद्देश्य -

प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम से जुड़ने के बाद मदरसा पर हुये प्रमुख प्रभावों का अध्ययन।
- आधुनिकीकरण के कारण मदरसों के संचालन और प्रबंधन में हुये परिवर्तनों का अध्ययन।

- मदरसा प्रबंधन समिति के सदस्यों की सक्रियता का अध्ययन।
- मदरसा प्रबंधन समिति के बैठकों की नियमितता का अध्ययन।

शोध क्षोत्र का संक्षिप्त विवरण-

प्रस्तुत शोध मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भोपाल जिले की कुल जनसंख्या 23.71 लाख है, जिसमें 74.4 प्रतिशत हिन्दू, 22.16 प्रतिशत मुस्लिम, 0.99 प्रतिशत ईसाई, 0.46 प्रतिशत सिक्ख, 0.91 प्रतिशत बौध्द तथा 1.09 प्रतिशत जैन है।

मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2019 की स्थिति तक भोपाल 619 मदरसें मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड से संबंध्द हैं। इन मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ राज्य शासन द्वारा स्वीकृत पाठयक्रम के अनुसार छात्र-छात्राओं को शिक्षा दी जाती है जिसमें हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय शामिल है।

अध्ययन के लिये मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड से पंजीकृत कुल 11 मदरसों का चयन गया है। इन मदरसों को मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान प्राप्त हो रहा है। यह सभी मदरसें पुराने भोपाल शहर के जहांगीराबाद, शाहजहानाबांद, ऐशबाग औरी करोद क्षेत्र में की बस्तियों स्थित है। इन बस्तियों में अधिकतर निमन आय वर्ग के परिवार रहते हैं। ज्यादातर लोग दैनिक मजदूरी, दुकानों में काम करने वाले,ठेला लगाने, सब्जी बेचने आदि जैसे काम करते है।

अध्ययन पध्दति और उपकरण-

प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों पर आधारित है, प्राथमिक आंकड़ों का संकलन भोपाल नगर के 11 मदरसों में किया गया है इसके लिये सुविधाजनक निर्दशन पध्दति का प्रयोग किया गया है साथ ही दैव निदर्शन पध्दति को भी ध्यान में रखा गया है। इन 11 मदरसों के संचालकों से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से जानकारी इकट्ठी की गयी है। इस अनुसूची में मदरसा की पृष्ठभूमि, मदरसा बोर्ड से जुड़ने के बाद उनमें हुये परिवर्तनों, मदरसा प्रबंधन समिति के सदस्यों की सक्रियता और मदरसा प्रबंधन समिति के बैठकों की नियमितता से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। अध्ययन में अवलोकन पध्दति का उपयोग भी किया गया है।

द्वितीय आंकड़ों का संकलन विभिन्न स्रोतों, जैसे कि पूर्व में किये गये अध्ययन, रिपोर्ट, लेख, आंकड़े, इन्टरनेट पर उपलब्ध साहित्य आंकड़ों, आदि द्वारा किया गया है। तत्पश्चात संकलित की गयी

जानकारियों/आंकड़ों का वर्गीकरण, सारणीकरण और विश्लेषण करते हुये निष्कर्ष निकाला गया है।

साहित्य समीक्षा-

सच्चर समिति की रिपोर्ट वर्ष 2006 के अनुसार मदरसा आधुनिकीकरण योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान कई खामियाँ पायी गयी हैं। मदरसों में आधुनिक विषयों को पढ़ाने के लिये जितनी संख्या में और जिस गुणवत्ता के शिक्षक नियुक्त किये गये और उन्हें जो वेतन दिया जा रहा है वो अपर्याप्त है। इसके अलावा मदरसों के पाठयक्रम में आधुनिक विषयों की महत्ता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। संचालक मनमाने ढंग से मदरसों को चला रहे हैं, सरकार आधुनिक शिक्षा के लिये मान्यता प्राप्त मदरसों को तीन शिक्षकों का मानदेय देती है, जबकि इन पदों के लिये शिक्षकों के चयन का अधिकार मदरसा प्रबंधन के पास होता है और इसका लाभ मदरसा चलाने वाले उठाते है। आवेदकों से नियुक्ति में मनमर्जी की जाती है, संचालक शिक्षकों के पदों पर अपने ही परिवार के सदस्यों की नियुक्ति कर लेते हैं। योजना की फिर से समीक्षा किये जाने की जरूरत है जिससे उसे ठीक से लागू किया जा सकें। सच्चर समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि ऐसे उपाय खोजने की कोशिश की जानी चाहिये जिससे मदरसों को उच्च स्तर के शैक्षणिक बोर्ड से जोड़ा जा सकें और मदरसें में पढ़ने वाले छात्रों के पास वहां से निकल कर मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल होने का विकल्प हो सकें ।

साल 2013 में भारत सरकार के मानव विकास मंत्रालय द्वारा स्कीम टु प्रोवाईड क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा (एसपीक्यूईएम) का मूल्यांकन कराया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया के डा. के.आर.नारायणन सटर फॉर दलित एण्ड माईनोरटीस स्टडी द्वारा यह मूल्यांकन मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, कनार्टक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा में करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गयी।

मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार समीक्षा में पाया गया कि योजना से संबंधित जानकारियों के लिये कोई व्यवस्थित और स्थायी प्रणाली नहीं है जिसकी वजह से इसको लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इस तरह से राज्य और केन्द्र के बीच संवादहीनता की स्थिति पायी गयी है। इस योजना को चलाने वाले राज्य और केन्द्र सरकार के अधिकारियों के बीच बेहतर संवाद की जरूरत हैं। समुदाय के स्तर पर इस योजना को लेकर प्रचार-प्रसार की कमी पायी गयी और बहुत कम लोग ही इस योजना के बारे में जानते हैं।

इस योजना के लिये आवेदन की प्रक्रिया बहुत लम्बी है। समीक्षा के दौरान लगभग सभी मदरसों द्वारा बताया गया है कि योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया में काफी देरी होती है। मदरसा संचालकों द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिये मदरसों के चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने की जरूरत बताई गयी है।

मदरसों को मिलने वाले फंड के वितरण में भी काफी देरी देखने को मिली है। लगभग सभी मदरसों का कहना है कि उन्हें शिक्षकों का वेतन समय पर प्राप्त नहीं होता है। कई मामलों में शिक्षकों को अपना वेतन २ साल में प्राप्त हुआ है। इस वेतन देरी के चलते शिक्षकों में निराशा की स्थिति देखने को मिली है। वेतन की देरी का असर शिक्षकों का उनके काम के प्रति गंभीरता पर भी देखने को मिला है। वेतन ना मिलने की वजह से मदरसा प्रबंधन अपने शिक्षकों में शिक्षा प्रदान करने के प्रति रूचि और गुणवत्ता बनाये रखने में असमर्थ हैं। ये भी पाया गया कि उन मदरसों में बच्चों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने की दर ज्यादा है जहाँ शिक्षकों ने वेतन ना मिलने की वजह से मदरसा छोड़ दिया है।

ज्यादातर राज्यों में शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार मदरसा प्रबंधन को दिया गया है जो कि एक अच्छा कदम है लेकिन इससे समस्यायें भी देखने को मिल रही है क्योंकि इसकी वजह से कई मदरसों में वहां के मदरसा प्रबंधन द्वारा अपने रिश्तेदारों, सगे-संबंधियों और मित्रों को मदरसा शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है और नियुक्ति शिक्षकों की गुणवत्ता को अनदेखा कर दिया जाता है और उन्हें स्कीम के तहत निर्धारित वेतन से कम राशि भी दी जाती है। जिसके फलस्वरूप शिक्षकों की नियुक्तियों में शिक्षकों की गुणवत्ता से समझैता किया जाता है। इसका सीधा प्रभाव इन मदरसों में शिक्षा के गुणवत्ता पर पड़ रहा है।

समीक्षा में पाया गया कि मदरसों में आधुनिक विषयों के लिये नियुक्त किये गये ज्यादातर शिक्षकों में इन विषयों को पढ़ाने के लिये पर्याप्त अनुभव और अहर्ता की कमी है। हालांकि कुछ राज्यों के मदरसा बोर्ड द्वारा मदरसा शिक्षकों को प्रशिक्षण दी गयी है लेकिन यह प्रयास ना काफी है। इस संबंध में मदरसों की ये शिकायत है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) के अधिकारी मदरसा शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर गंभीर नहीं हैं। साल 2018 में भारत सरकार के मानव विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान न्यूपा नई दिल्ली के माध्यम से एक बार पुनः स्कीम टु प्रोवाईड क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा (एसपीक्यूईएम) का मूल्यांकन कराया गया। न्यूपा द्वारा यह मूल्यांकन चार राज्यों छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, त्रिपुरा और उत्तरप्रदेश में करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गयी है।

योजना के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकारी मदरसा प्रबंधन को दिया गया है इसलिये शिक्षकों की भर्ती मदरसा प्रबंधन समिति द्वारा अपने सुविधा के अनुसार की जाती है। बहुत कम मदरसे शिक्षकों के रिक्त पदों के लिये विज्ञापन देते हैं। इस मदरसों में जो शिक्षक नियुक्त हैं उनमें से अधिकतर मानविकी और भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक है, विज्ञान और गणित जैसे विषयों के शिक्षक बहुत कम संख्या में हैं। इसी प्रकार से इसके बहुत कम शिक्षकों के पास शिक्षक बनने की व्यवसायिक डिग्रियां जैसे बी.एड., एम.एड. और डी.एल.एड. जैसी डिग्रियाँ हैं। इसलिये अधिकतर मदरसों में मानविकी और

भाषाओं में शैक्षिक योग्यता वाले शिक्षकों ही विज्ञान और गणित पढ़ाते है क्योंकि मदरसों में इन विषयों को पढ़ाने में अपेक्षित योग्यता और अनुभव वाले शिक्षक नहीं है।

तथ्यों का विश्लेषण -

आधुनिकीकरण क्रार्यक्रम से जुड़ने के बाद मदरसों में हुये बदलाव -

निम्नलिखित तालिका के अंर्तगत मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम से जुड़ने के बाद संचालकों के दृष्टिकोण से उनके मदरसों में होने वाले बदलाओं को प्रदर्शित किया गया है।

तालिका क्रमांक -१

क्रं.सं.	मदरसे में बदलाव	संख्या	प्रतिशत
1.	आर्थिक सहयोग मिलता है, शासकीय योजनाओं का लाभ	07	63.64
2.	दोनों और दुनियावी तालीम साथ मिलने लगे	02	18.18
3.	शासकीय योजनाओं का लाभ	01	09.09
4.	दीनी और दुनियावी तालीम, आर्थिक सहयोग मिलता है	01	09.09
	कुल -	11	100

अध्ययन 11 मदरसा प्रबअंधनों से मदरसा आधुनिकीकरण से जुड़ने के बाद से मदरसे में आये बदलाव के बारे में जाना गया तब 09.09 प्रतिशत (1) मदरसा संचालक ने कहा कि उनके मदरसे को शासकीय योजनाओं का लाभ मिलने लगा निःशुल्क पाठयपुस्तक मिलने लगी, स्मार्ट क्लास की सुविधा हुई, मदरसा बोर्ड से मान्यता मिली, 18.18 प्रतिशत (2) मदरसा संचालकों ने कहा कि मदरसों द्वारा वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दीनी और दुनियावी तामिल साथ मिलने लगी है, 63.64 प्रतिशत (7) मदरसा संचालकों ने कहा कि उनके मदरसे को आर्थिक सहयोग के साथ साथ शासकीय योजनाओं का लाभ भी मिलने लग गया है। जबकि 9.09 प्रतिशत (1) मदरसा संचालक ने बताया कि उनके मदरसें द्वारा वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दीनी और दुनियावी तालिम साथ मिलने लगी है साथ ही साथ आर्थिक सहयोग भी मिलने लगा है।

मदरसा प्रबंधन समिति के सदस्यों की जानकारी-

नीचे दिये गये तालिका/सारणी में प्रबंधन समिति के सदस्यों के बारे में मदरसा संचालकों की

जानकारी को दर्शाया गया है-

तालिका क्रमांक-२

क्रं.सं	मदरसा प्रबंधन समिति के सदस्यों की जानकारी	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	09	81.82
2.	नहीं	02	18.18
	कुल -	11	100

अध्ययन में शामिल 11 मदरसों के संचालकों को जब पूछा गया कि मदरसा प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को जानते हैं इस पर 18.18 प्रतिशत (2) मदरसा संचालकों ने कहा कि वे मदरसा प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को नहीं वरन कुछ ही सदस्यों को जानते है, वहीं 81.82 प्रतिशत (9) मदरसा संचालकों ने कहा कि वे मदरसा प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को जानते है।

तालिका क्रमांक-३

क्रं.सं	प्रबंधन समिति की बैङ्गक	संख्या	प्रतिशत
1.	नियमित होती है	8	72.73
2.	कभी-कभी	3	27.27
	कुल -	11	100

अध्ययन में शामिल 11 मदरसों के संचालकों से प्रबंधन समिति की बैठक को लेकर सवाल किया गया तब 27.27 प्रतिशत (3) मदरसा संचालकों ने कहा कि प्रबंधन समिति की बैठक कभी कभी होती है और उसमें भी समिति के पूरे सदस्य शामिल नहीं होते है जबकि 72.73 प्रतिशत (8) मदरसा संचालकों ने कहा कि उनके मदरसे के प्रबंधन समिति की बैठक नियमित होती है।

मदरसा प्रबंधन समिति की बैठक का अंतराल -

निम्नलिखित तालिका/सारणी में मदरसा प्रबंधन समिति की बैठकों के अंतराल को प्रस्तुत किया गया है।

मदरसा प्रबंधन समिति की बैठक का अंतराल -

निम्नलिखित तालिका/सारणी में मदरसा प्रबंधन समिति की बैठकों के अंतराल को प्रस्तुत किया गया है।

तालिका क्रमांक-३

क्रं.सं	प्रबंधन समिति की बैठक की अवधि	संख्या	प्रतिशत
1.	सदस्यों के सुविधानुसार	10	90.91
2.	प्रति तीन माह पर	1	9.09
	कुल -	11	100

अध्ययन में शामिल 11 मदरसों के संचालकों से प्रबंधन समिति के बैठक के समय को लेकर सवाल किया गया उसके जवाब में 90.91 प्रतिशत (10) मदरसा संचालकों ने कहा कि वे मदरसा प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों के सुविधानुसार की जाती है जबकि 9.09 प्रतिशत (1) मदरसा संचालकों ने कहा कि प्रबंधन समिति की बैठक हर तीन माह में की जाती है।

मदरसा संचालन समिति के सदस्यों का मुख्य कार्य मदरसों के संचालन में सहयोग करना है परन्तु अध्ययन किये गये ११ मदरसों में आधे से अधिक मदरसा संचालकों के अनुसार संचालन समिति के सदस्यों द्वारा मदरसों के संचालन में किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं किया जाता है या समिति के कुछ ही सदस्यों द्वारा ही सहयोग किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि अधिकतर मदरसों में अनिवार्यता की वजह से मदरसा संचालन समितियों का गठन तो हुआ है परन्तु वे पूरी तरह से सक्रिय नहीं है।

मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड के नियमों के अनुसार मदरसा संचालन समितियों की बैठक प्रतिमाह होनी चाहिये। अध्ययन किये गये सभी ११ मदरसों में मदरसा संचालन समिति की प्रतिमाह नियमित रूप से बैठक नहीं होती है और होने वाली बैठकों में समिति के सभी सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। लगभग सभी मदरसों में संचालन समिति की बैठक सदस्यों के सुविधानुसार की जाती है।

मदरसा संचालन समिति की होने वाली बैठकों में प्रबंधन/संचालन, बच्चों की नियमितता, लड़कियों की सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा की जाती है।

निष्कर्ष-

मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड के प्रावधानों के अनुसार आधुनिकीकरण से जुड़े मदरसों को मदरसा संचालन समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है और मदरसें का संचालन इसी समिति द्वारा किया जाना है। मदरसा संचालन समिति के सदस्यों का मुख्य कार्य मदरसों के संचालन में सहयोग करना है

परन्तु अध्ययन किये गये आधे से अधिक मदरसा संचालकों के अनुसार संचालन समिति के सदस्यों द्वारा मदरसों के संचालन में किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं किया जाता है या समिति के कुछ ही सदस्यों द्वारा ही सहयोग किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि अधिकतर मदरसों में अनिवार्यता की वजह से मदरसा संचालन समितियों का गठन तो हुआ है परन्तु वे पूरी तरह से सक्रिय नहीं है।

मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड के नियमों के अनुसार मदरसा संचालन समितियों की बैठक प्रतिमाह होनी चाहिये। अध्ययन किये गये सभी ११ मदरसों में मदरसा संचालन समिति का प्रतिमाह नियमित रूप से बैठक नहीं होती है और होने वाली बैठकों में समिति के सभी सदस्य सम्मिलित नहीं होते है। लगभग सभी मदरसों में संचालन समिति के सदस्यों के सुविधानुसार की जाती है। उपरोक्त विवेचना और विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि मदरसा आधुनिकीकरण, कार्यक्रम का मदरसों पर प्रभा समिति रूप से है, इन मदरसों में समितियों का गठन तो हुआ है परन्तु यह अपनी भूमिका का निर्वाह ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. Agarwal,N.P.& R.Tailor(2008):*Principles & Practice of Management*, RBSA

2. JMI(2013):*Scheme for Providing Quality Education in Madrasas (SPQEM): An Evaluation Study Report*, KRN Centre for Dalit and Minorities Studies, Jamia Millia Islamia,New Delhi.

3. NIEPA (2018): *Evaluation of the Implementation of the Scheme for Providing Quality Education in Madrasas*, National Institute of Educational Planning and Administration,New Delhi.

4. Petersen & Elmore (2012): *Business organization and Management* ,Literary Licensing Whitefish, Montana.

5. सच्चर समिति रिपोर्ट (२००६) *भारत में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति*, केन्द्रीय सचिवालय, भारत सरकार।

6. मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड, भोपाल। https://mpmb.org.in/

****